29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 4085–दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 16.11.2012 पारित द्वारा तहसीलदार टीकमगढ प्रकरण क्रमांक बी–121/2012–13

---

1. राजेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद तिवारी
2. रामप्यारी पत्नि दुर्गाप्रसाद
3. मीरादेवी पुत्री राममूर्ति
   निवासीगण– ग्राम पाण्डेर, तह0 व जि0 टीकमगढ़ (म.प्र) .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. अर्जुन पुत्र हल्काई अहिरवार
2. हक्कू पुत्र हल्काई अहिरवार
3. केशव पुत्र कुंजीया
4. घनश्याम पुत्र पुन्ना अहिरवार
5. भग्गू पुत्र चिनऊ अहिरवार
6. प्यारेलाल पुत्र चिनऊ अहिरवार
7. मंगला पुत्र मुलुआ सौर
8. प्रेमलाल पुत्र बुद्धा सौर
9. मौललाल पुत्र बुद्धा सौर
10. गन्या उर्फ गणेश पुत्र धन्नू अहिरवार
11. श्यामलाल पुत्र पुन्ना अहिरवार
12. नन्दलाल पुत्र नथुआ अहिरवार
13. राजकुंमार पुत्र नथुआ अहिरवार
    निवासीगण– ग्राम पाण्डेर, तह0 व जि0 टीकमगढ़ (म.प्र) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी

अनावेदकगण एक पक्षीय

आदेश

(आज दिनांक 07/12/17 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ के प्रकरण कमांक 698/बी–121/2012–13 में की जा रही कार्यवाही एवं सूचनापत्र 16.11.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि माननीय विधायक, टीकमगढ़ द्वारा कलेक्टर को एक शिकायत इस आशय की पेश की गई कि ग्राम पाण्डेर तहसील टीकमगढ में वर्ष 2002 में पट्टा एवं भू–अधिकार पुस्तकाएं दी गई थीं, परंतु पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों के आधार पर कार्यवाही कराने का अनुरोध किया। इस शिकायत पर से तहसीलदार ने सभी पट्टाधारियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किया गया। उक्त कार्यवाही एवं सूचनापत्र के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि विवादित भूमि सर्वे नंबर 248 का रकवा बहुत बड़ा है। आवेदकों को वर्ष 1994–95 में उक्त सर्वे नं. में से भूमि अदला बदली में प्राप्त हुई थी तभी से उक्त भूमि पर काबिज है। सर्वे नं. 248 में से जो पट्टे अन्य व्यक्ति/अनावेदकों को दिए गए हैं वे वर्ष 2002 में दिए गए हैं। यह भी कहा गया कि इस प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 147/बी–121/2012–13 में की गई कार्यवाही एवं आदेशों के विरुद्ध उनके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी कमांक 3053–एक/15 पेश की गई थी जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 04.11.16 को आदेश पारित करते हुए कलेक्टर द्वारा की जा रही कार्यवाही को विधि सम्मत नहीं माना है और चूंकि विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के कारण यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक कार्यवाही स्थगित रखें और मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के आदेश के उपरांत कार्यवाही की जाने का आदेश दिया जाना न्यायसंगत होगा।

4. अनावेदकगण प्रकरण में एक पक्षीय हैं।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी क. 3083–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 04.11.2016 का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त निगरानी प्रकरण 3083–एक/16 में एवं इस प्रकरण में विवादित भूमि एक ही है। विवादित भूमि के संबंध में व्यवहार वाद लंबित होने के कारण राजस्व मण्डल द्वारा उक्त प्रकरण में कलेक्टर न्यायालय की कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रखे जाने एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश देते हुए व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि वर्तमान प्रकरण के तथ्य एवं उक्त प्रकरण के तथ्य समान हैं, इसलिए इस प्रकरण में भी तहसीलदार टीकमगढ़ को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उनके समक्ष लंबित आलोच्य प्रकरण 698/बी–121/12–13 में प्रचलित कार्यवाही व्यवहार न्यायालय से अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रखी जाकर मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। व्यवहार न्यायालय का जो निर्णय हो उस अनुसार प्रकरण में कार्यवाही की जाए। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर